श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश

518, न्यू मोती बंगला, एम.जी. रोड़, इन्दौर–452 007
दूरभाष : 0731–2432522, फैक्स : 0731–2536800
ईमेल : lcmpent@mp.gov.in वेबसाईट : http://www.labour.mp.gov.in

क्रमांक 03/17/नवम/प्रवर्तन/2020/33845-913, इंदौर, दिनांक 11-9-2020

प्रति,

1. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक,
   औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (म.प्र.)
2. समस्त सहायक श्रमायुक्त, संभागीय श्रम कार्यालय (म.प्र.)
3. श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी/श्रम निरीक्षक/कल्याण पर्यवेक्षक,
   जिला श्रम कार्यालय (म.प्र.)

विषयः– कम्प्यूटराईज्ड केन्द्रीयकृत निरीक्षण व्यवस्था के कियान्वयन के संबंध में निर्देश।

संदर्भ :– श्रम विभागीय पत्र कमांक 742/892/2020/ए–16 भोपाल दिनांक 09.09.2020

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। जिसमे शासन द्वारा वैश्विक महामारी कोविड–19 के कारण श्रम विभाग द्वारा पत्र में उल्लेखित विभिन्न श्रम अधिनियमों के अतंर्गत संस्थानों में किए जाने वाले समस्त निरीक्षणों के संबंध में नवीन निर्देश जारी किए गए हैं। विभाग द्वारा पोर्टल के माध्यम से जारी किए गए संस्थानों के निरीक्षण की कार्यप्रणाली व प्रकिया संबंधी समय–समय पर कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी परिपत्र दिनांक 06.09.2018 एवं 14.02.2019 में यथा संशोधित करते हुए निम्नानुसार नवीन निर्देश प्रसारित किए गए हैं :–

i. उक्त अधिनियमों के समस्त निरीक्षण केवल cis.mpidc.co.in पोर्टल के माध्यम से संचालित किए जावेंगे।

ii. विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी इस पोर्टल पर आवश्यकतानुसार किसी भी संस्था का उपयुक्त तिथि पर निरीक्षण निर्देशित करेगा।

iii. प्राधिकृत अधिकारी के निर्देशन के पश्चात पोर्टल द्वारा उस संस्था के स्थल के लिए उपलब्ध निरीक्षकों में से एक निरीक्षक का चयन किया जावेगा। अतः प्राधिकृत अधिकारी की जबाबदारी होगी कि वह पोर्टल पर निरीक्षकों की पदस्थापना संबंधी जानकारी अद्यतन रखें।

iv. जिन अधिनियमों में तृतीय पक्ष को निरीक्षण के लिए अधिकृत किया गया है। ऐसे समस्त तृतीय पक्ष के निरीक्षकों को भी इस व्यवस्था में शामिल किया जावे।

v. चयनित निरीक्षकों को उसके पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर निरीक्षण के संबंध में एक Message प्राप्त होगा। इस निरीक्षण के संबंध में चयनित निरीक्षक को अपनी उपलब्धता SMS में बताऐ गये नम्बर पर तत्काल सूचित करना होगा। यदि विभाग द्वारा स्वीकृत कारणों से संबंधित निरीक्षक उपलब्ध नहीं है तो इस आशय की सूचना SMS में बताये गय तरीके से प्रदान करेगा।

अविरत.2.

LATTER 2020 SHOP

vi. इस दशा में पोर्टल अन्य निरीक्षक को चयनित करेगा। यदि निरीक्षण को निर्धारित अवधि के 24 घंटे पहले तक कोई निरीक्षक सहमति नहीं देता है तो निरीक्षण निरस्त हो जावेगा। जिन निरीक्षकों ने बिना उपयुक्त कारणों के सहमति प्रदान नहीं की है उनके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

vii. निर्धारित तिथि को चयनित निरीक्षक संस्था पर जाकर निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के 48 घंटे के अन्दर निरीक्षण रिपोर्ट को पोर्टल पर दर्ज होना अनिवार्य है। ऐसा न होने पर निरीक्षण स्वतः शून्य व निष्प्रभावी घोषित हो जावेगा। इसकी जिम्मेदारी संबंधित निरीक्षक की होगी। तृतीय पक्ष निरीक्षक की दशा में इसकी जानकारी संबंधित रजिस्ट्रीकरण संस्था को कार्यवाही हेतु प्रदान की जावेगी। आगामी निरीक्षणों के लिए शासन उसे प्रतिबंधित भी कर सकेगा।

viii. निरीक्षण रिपोर्ट पोर्टल पर दर्ज होने के बाद संबंधित संस्था को उपलब्ध होगी। संस्था के उत्तर (यदि कोई है तो) के साथ प्राधिकृत अधिकारी को पोर्टल पर उपलब्ध होगी। इसके आधार पर विभाग आगामी कार्यवाही करेगा।

नवीन कम्प्यूटराईज्ड केन्द्रीयकृत निरीक्षण व्यवस्था दिनांक 15 सितम्बर 2020 से प्रभावशील होगी। इन निर्देशों के प्रभावशील होते ही पूर्व के समस्त निर्देश उपरोक्तानुसार संशोधित माने जायेंगे।

अतः उपर्युक्तानुसार आपके अधीनस्थ समस्त श्रम निरीक्षक/कल्याण पर्यवेक्षक को अवगत कराते हुए यह कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित की जावे ।

11/9/2020

(आशुतोष अवस्थी)
श्रम आयुक्त,
मध्यप्रदेश इन्दौर

क्रमांक 03/17/नवम/प्रवर्तन/2020/33914-16, इंदौर, दिनांक 11-9-2020

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन श्रम विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर श्रम आयुक्त, मुख्यालय, इन्दौर की ओर सूचनार्थ ।
3. प्रभारी आईटी शाखा मुख्यालय, इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार समुचित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

11/9/2020

श्रम आयुक्त,
मध्यप्रदेश इन्दौर

LATTER 2020 SHOP

मध्यप्रदेश शासन
श्रम विभाग,
मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक 742 / 892 / 2020 / ए–16 भोपाल, दिनांक 09/09/2020

प्रति,

श्रमायुक्त,
मध्यप्रदेश, इंदौर

विषय:– कम्प्यूटराईज्ड केन्द्रीयकृत निरीक्षण व्यवस्था के क्रियान्वयन के संबंध मे निर्देश।

....

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के ज्ञापन क्रमांक एफ.एन.40(06) / पीएफ–एस / 2017–18 / वॉल्यू v दिनांक 17 मई 2020 के द्वारा वैश्विक महामारी कोविड–19 के कारण राज्य सरकारो के वित्तीय स्त्रोतो पर गभीर विपरीत प्रभाव के परिप्रेक्ष्य मे प्रदेश के कतिपय विशिष्ट कार्यक्रमों के सुधारो विशेष कर व्यापार सरलीकरण के क्रियान्वयन की शर्तों के अध्याधीन वर्ष 2020–21 के लिए राज्यो को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का 2 प्रतिशत अतिरिक्त उधार लेने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। उक्त सुधार कार्यक्रमो को निर्धारित समय–सीमा मे क्रियान्वित किया जाना अनिवार्य है।

2. भारत सरकार द्वारा व्यापार संचालन सरलीकरण के लिए राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय व्यापार सुधार कार्ययोजना 2020 के क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए है। इस कार्य योजना अंतर्गत औद्योगिक / व्यापारिक प्रतिष्ठानों हेतु आवश्यक निरीक्षणों के लिए एक कम्प्यूटराईज्ड केन्द्रीयकृत निरीक्षण व्यवस्था निर्मित की जाना है।

3. श्रम विभाग द्वारा अधिशासित अधिनियमो यथा The Euqal Remuneration Act, 1976, The Minimum wages Act, 1948, The Shops and Establishments Act, 1936, The payment of Bonus Act, 1965, The Payment of Wages Act, The Payment of Gratuity Act, 1972, The Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 and The Factories Act, 1948 अतर्गत होने वाले समस्त निरीक्षणों के संबंध मे पोर्टल की कार्यप्रणाली एवं प्रकिया संबंधी शासन एवं श्रमायुक्त द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रो (श्रमायुक्त के परिपत्र दिनांक 06.09.2018 एवं 14.02.2019 सहित) को यथासंशोधित करते हुए निम्न नवीन निर्देश प्रसारित किए जाते हैं:–

i. उक्त अधिनियमो के समस्त निरीक्षण केवल cis.mpidc.co.in पोर्टल के माध्यम से संचालित किए जायेंगे।

ii. विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी इस पोर्टल पर आवश्यकतानुसार किसी भी संस्था का उपयुक्त तिथि पर निरीक्षण निर्देशित करेगा।

iii. प्राधिकृत अधिकारी के निर्देशन के पश्चात पोर्टल द्वारा उस संस्था के स्थल के लिए उपलब्ध निरीक्षकों मे से एक निरीक्षक का चयन किया जायेगा। अतः प्राधिकृत अधिकारी की जवाबदारी होगी कि वह पोर्टल पर निरीक्षकों की पदस्थापना संबंधी जानकारी अद्यतन रखे।

iv. जिन अधिनियमों मे तृतीय पक्ष को निरीक्षण के लिए अधिकृत किया गया है। ऐसे समस्त तृतीय पक्ष के निरीक्षको को भी इस व्यवस्था मे शामिल किया जावें।

v. चयनित निरीक्षको को उसके पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर निरीक्षण के संबंध मे एक Message प्राप्त होगा। इस निरीक्षण के संबध मे चयनित निरीक्षक को अपनी उपलब्धता SMS मे बताऐ गऐ नम्बर पर तत्काल सूचित करना होगा। यदि विभाग द्वारा स्वीकृत कारणो से संबधित निरीक्षक उपलब्ध नही है तो इस आशय की सूचना SMS मे बताये गये तरीके से प्रदान करेगा।

निरंतर..2

vi. इस दशा मे पोर्टल अन्य निरीक्षक को चयनित करेगा। यदि निरीक्षण को निर्धारित अवधि के 24 घंटे पहले तक कोई निरीक्षक सहमति नही देता है तो निरीक्षण निरस्त हो जायेगा। जिन निरीक्षको ने बिना उपयुक्त कारणो के सहमति प्रदान नही की है उनके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

vii. निर्धारित तिथि को चयनित निरीक्षक संस्था पर जाकर निरीक्षण करेगें। निरीक्षण के 48 घंटे के अंदर निरीक्षण रिपोर्ट को पोर्टल पर दर्ज होना अनिवार्य है। ऐसा न होने पर निरीक्षण स्वतः शून्य व निष्प्रभावी घोषित हो जावेगा। इसकी जिम्मेदारी संबधित निरीक्षक की होगी। तृतीय पक्ष निरीक्षक की दशा मे इसकी जानकारी संबधित रजिस्ट्रीकरण संस्था को कार्यवाही हेतु प्रदान की जावेगी। आगामी निरीक्षणों के लिए शासन उसे प्रतिबंधित भी कर सकेगा।

viii. निरीक्षण रिपोर्ट पोर्टल पर दर्ज होने के बाद संबंधित संस्था को उपलब्ध होगी। संस्था के उत्तर (यदि कोई है तो) के साथ प्राधिकृत अधिकरी को पोर्टल पर उपलब्ध होगी। इसके आधार पर विभाग आगामी कार्यवाही करेगा।

इन निर्देशों के प्रवाभशील होते ही पूर्व के समस्त निर्देश उपरोक्तानुसार संशोधित माने जायेगे।

उक्त व्यवस्था 15 सितम्बर 2020 से प्रभावशील होगी।

(छोटे सिंह)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग

पृ.क्रमांक 7453/892/2020/ए-16
भोपाल, दिनांक 07/09/2020

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल को उनके पत्र दिनांक 02 जून 2020 के संदर्भ मे सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. प्रबंध संचालक, एमपी इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि., भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित। कृपया श्रमसेवा पोर्टल से इंटीग्रेशन कर विभागीय अमले को प्रशिक्षण की ऑनलाईन व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करे।
4. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रमपदाधिकारी/श्रम निरीक्षक, मध्यप्रदेश की ओर पालनार्थ।
6. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहयक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, मध्यप्रदेश की ओर पालनार्थ।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग

3/17/494/प्रवर्तन/2020